न्यूज़ टुडे

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को मुल्लापेरियार बांध मामले में बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत प्राधिकरण को क्रियाशील करने का निर्देश दिया

- उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से इस **अधिनियम के तहत राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA) और अन्य निकायों के कामकाज को शुरू करने की योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देने को कहा है।**
  - सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने कहा कि **वर्ष 2021 का बांध सुरक्षा अधिनियम** मुल्लापेरियार बांध को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच के **"चिरस्थायी" कानूनी विवाद को समाप्त करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।**
- **बांध सुरक्षा अधिनियम के बारे में**
  - यह **आपदाओं को रोकने के लिए बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव** हेतु एक व्यापक अधिनियम है।
  - यह अधिनियम दो **विशेष निकायों की स्थापना** को अनिवार्य करता है। ये निकाय नीतियों को विकसित करने, बांध सुरक्षा मानकों के लिए विनियमों की सिफारिश करने और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने पर केंद्रित होंगे। ये **दो विशेष निकाय हैं:**
    - राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति तथा
    - राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA)।
  - अधिनियम के तहत, **बांध स्वामित्व धारकों को एक आपातकालीन कार्य योजना तैयार करनी होगी।** साथ ही, उन्हें निर्धारित नियमित अंतरालों पर प्रत्येक बांध के लिए जोखिम मूल्यांकन अध्ययन करने होंगे।
- **बांध और बांधों की सुरक्षा का महत्त्व**
  - बांध देश की **समग्र जल सुरक्षा** और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने **में महत्वपूर्ण भूमिका** निभाते हैं।
  - **विशाल बांधों की संख्या (5,334)** के मामले में भारत, **अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है।**
  - बांधों के कारण अनुप्रवाह (Downstream) क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ का खतरा बना रहता है। भारत में बांध और बांधों की सुरक्षा विभिन्न समस्याओं से ग्रसित हैं।

मुल्लापेरियार बांध

- यह **126 वर्ष पुराना एक बांध** है। इसके स्वामित्व, संचालन तथा रखरखाव की जिम्मेदारी तमिलनाडु सरकार की है।
- यह **पेरियार नदी के ऊपरी भाग में स्थित** है। यह नदी तमिलनाडु में उद्भव होने के बाद केरल से प्रवाहित होती है। बाढ़ द्वारा निर्मित जलाशय **पेरियार टाइगर रिज़र्व** के भीतर स्थित है।
- **विवाद हेतु उत्तरदायी कारण**
  - वर्ष 1886 में, त्रावणकोर के तत्कालीन महाराजा ने ब्रिटिश शासन के साथ 999 वर्ष के **पट्टे के समझौते (lease agreement)** पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत मुल्लापेरियार बांध के परिचालन का अधिकार तमिलनाडु को सौंप दिया गया था।
  - **केरल का दावा है कि बांध की संरचना कमजोर है** और यह किसी भी समय नष्ट सकता है। इससे राज्य में हजारों लोगों की मृत्यु हो सकती है। दूसरी ओर तमिलनाडु का दावा है कि मुल्लापेरियार बांध सुरक्षित है तथा अच्छी तरह से प्रबंधित है।

चावल पर दी जा रही सब्सिडी निर्धारित सीमा से अधिक होने पर भारत ने तीसरी बार 'पीस क्लॉज़' का प्रयोग किया

- अपनी गरीब आबादी की घरेलू खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए, भारत ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) के **पीस क्लॉज़ (शांति खंड) के प्रावधान** का उपयोग किया है। यह कदम चावल उत्पादक किसानों को दिए जाने वाले घरेलू समर्थन **की 10% सीमा को पार करने** के बाद उठाया गया है।
  - भारत ने WTO को सूचित किया है कि वर्ष 2020–21 में चावल उत्पादन का कुल मूल्य 45.56 बिलियन डॉलर था, जबकि 6.9 बिलियन डॉलर की सब्सिडी दी गई थी। इस प्रकार कुल उत्पादन मूल्य से सब्सिडी अनुपात 15.14% है। उल्लेखनीय है कि नियम के अनुरूप सब्सिडी 10% तक सीमित होनी चाहिए।
  - **भारत वर्ष 2020 में पीस क्लॉज़ का आश्रय लेने वाला पहला देश बना** था। इसका कारण यह था कि वर्ष 2018–19 में चावल के लिए सब्सिडी निर्धारित सीमा को पार कर की गई थी।
  - पीस क्लॉज़ प्रावधान, किसी विकासशील देश द्वारा **सब्सिडी सीमा के उल्लंघन की दशा में** विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्य देशों को विवाद निपटान मंच पर उसके कदम को **चुनौती देने से रोकता है।**
- **कृषि पर समझौता (Agreement on Agriculture: AoA) और पीस क्लॉज़**
  - **AoA के 3 स्तंभ**
    - **बाजार पहुँच शर्तों के तहत** विकसित और विकासशील, दोनों तरह के देशों को सभी गैर–प्रशुल्क बाधाओं को प्रशुल्क बाधाओं में बदलना था।
    - **घरेलू समर्थन** में सब्सिडी को अलग–अलग रंग के 'बॉक्स' में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण उत्पादन और व्यापार पर सब्सिडी के प्रभावों पर आधारित है। **(चित्र देखें)**
    - **निर्यात सब्सिडी** और अन्य विधियाँ निर्यात को कृत्रिम रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।
  - कृषि पर समझौते (AoA) में एक **"उचित प्रतिबंध" (due restraint) या "पीस क्लॉज़"** शामिल है। यह कृषि उत्पादों के संबंध में सब्सिडी से संबंधित **विश्व व्यापार संगठन के अन्य समझौतों के इस्तेमाल को विनियमित करता है।**

ग्रीन बॉक्स

- इन उपायों को कटौती प्रतिबद्धताओं से छूट दी गई है। वास्तव में, इसे विश्व व्यापार संगठन के तहत बिना किसी वित्तीय सीमा के भी बढ़ाया जा सकता है।
- यह विकसित और विकासशील, दोनों तरह के सदस्य देशों पर लागू होता है। लेकिन विकासशील देशों के मामले में, खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सरकारी अंशधारिता कार्यक्रमों तथा शहरी एवं ग्रामीण गरीबों के लिए सब्सिडीकृत खाद्य कीमतों के संबंध में विशेष व्यवहार प्रदान किया जाता है।

{भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत नहीं आती है।}

एम्बर बॉक्स

- वे सभी घरेलू समर्थन उपाय (कुछ अपवादों के साथ) जिन्हें उत्पादन और व्यापार को विकृत करने वाला माना जाता है, एम्बर बॉक्स में आते हैं।
- उदाहरण के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP); खरीद मूल्य तथा उर्वरक, जल, ऋण, बिजली आदि जैसे इनपुट पर सब्सिडी का कुल योग।

ब्लू बॉक्स

- इसमें वास्तव में एम्बर बॉक्स सब्सिडियां हैं। लेकिन, ये उत्पादन को सीमित करती हैं। ऐसा कोई भी समर्थन जो आम तौर पर एम्बर बॉक्स में होता है, उसे ब्लू बॉक्स में रखा जाएगा, यदि ऐसा समर्थन किसानों को अपने उत्पादन को सीमित करने के लिए बाध्य करता हो।
- इन उपायों को भी कटौती प्रतिबद्धताओं से छूट प्राप्त है।

विशेष और विभेदक व्यवहार बॉक्स (SDT)

- इसमें ट्रैक्टर और पंप सेट जैसी निवेश सब्सिडी, किसानों को उर्वरक जैसी कृषि इनपुट सेवाएं आदि शामिल हैं।
- ऐसी सब्सिडी केवल विकासशील और निम्न आय वाले देशों द्वारा दी जा सकती है।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) ने "स्टेट ऑफ़ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022" रिपोर्ट जारी की

- **यह रिपोर्ट "सीइंग द अनसीनः द केस फॉर एक्शन इन नेग्लेक्टेड क्राइसिस ऑफ अनइंटेडेंड प्रेगनेंसी" शीर्षक से जारी की गई है।**
- **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष**
  - **अनपेक्षित गर्भावस्था (Unintended Pregnancy)** वाली महिलाओं में से **लगभग 60 प्रतिशत गर्भपात करा लेती हैं।** कुल गर्भपात में से 45 प्रतिशत असुरक्षित होते हैं। ऐसे गर्भपात 5–13 प्रतिशत तक की मातृ मृत्यु दर का कारण बनते हैं।
  - **विकासशील देशों में 13% महिलाएँ** 18 वर्ष की आयु **से पहले ही बच्चे को जन्म दे** देती हैं।
  - वर्ष 2015 और वर्ष 2019 के बीच, विश्व भर में **प्रत्येक वर्ष 121 मिलियन अनपेक्षित गर्भावस्था के मामले देखे गए थे।** इनमें से **प्रत्येक सात में से एक मामला भारत में दर्ज** किया गया था।
- **अनपेक्षित गर्भावस्था में योगदान देने वाले प्रमुख कारक**
  - लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल तथा जानकारी का अभाव।
  - महिलाओं द्वारा स्वयं के शरीर और प्रजनन पर नियंत्रण के मामलों में हानिकारक रीतियाँ व कलंक जैसी धारणाओं का होना।
  - स्वास्थ्य सेवाओं में आलोचनात्मक रवैया या शर्मिंदगी महसूस करना।
  - गरीबी और आर्थिक विकास का रुक जाना।
  - लैंगिक असमानता।
- **UNFPA के बारे में**
  - यह वर्ष 1968 में स्थापित एक **अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी** है। यह **जनसंख्या तथा लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में** परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का समर्थन करती है।
  - इसका अधिदेश **संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC)** ने स्थापित किया है।
  - यह विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को सीधे प्राप्त करने के लिए सरकारों, भागीदारों और अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ कार्य कर रहा है। इन लक्ष्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:
    - स्वास्थ्य से संबंधित लक्ष्य– 3
    - शिक्षा से संबंधित लक्ष्य– 4
    - लैंगिक समानता से संबंधित लक्ष्य– 5

अनपेक्षित गर्भावस्था क्या है?

- **अनपेक्षित गर्भावस्था** वह स्थिति है, जिसमें कोई महिला या तो बच्चे की चाह नहीं होने या/और अधिक बच्चे की इच्छा नहीं रखने के बावजूद गर्भ धारण कर लेती है।

रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें

- स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक और **लैंगिक रूप से संवेदनशील** बनाना चाहिए।
- सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए।
- **लैंगिकता–आधारित हिंसा** को समाप्त करने की जरूरत है।
- **महिलाओं और लड़कियों के सशक्तीकरण के लिए निवेश** किये जाने की आवश्यकता है।

भारत के अलग–अलग क्षेत्रों में नववर्ष के त्यौहार

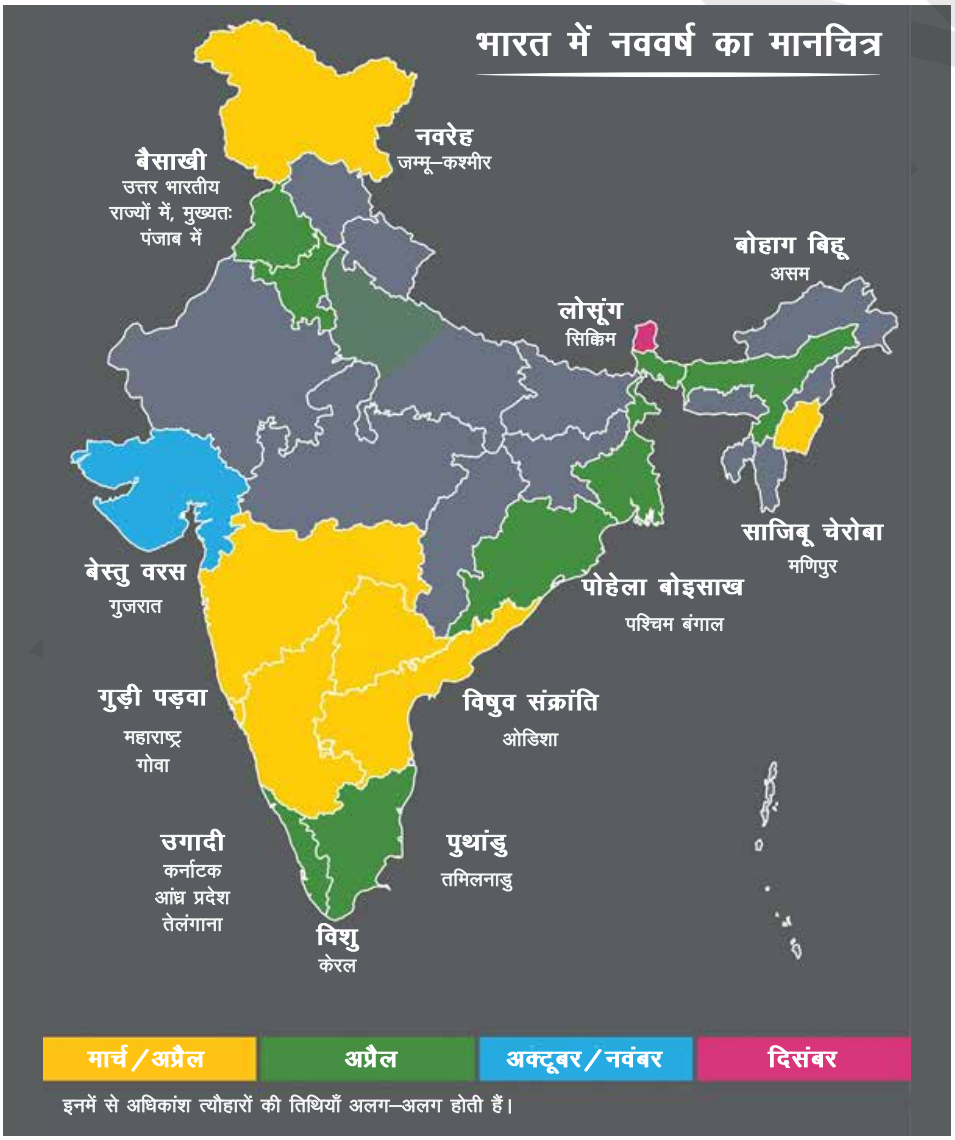

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने सभी जांच एजेंसियों की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता को रेखांकित किया

- हाल ही में, मुख्य न्यायाधीश ने अलग–अलग जांच एजेंसियों को एक ही संगठन के अंतर्गत लाने के लिए **एक स्वतंत्र अम्ब्रेला संस्थान** के गठन का सुझाव दिया है।
- **प्रस्तावित अम्ब्रेला संस्थान के बारे में**
  - इसका गठन एक कानून लाकर किया जा सकता है। इसमें **इस एजेंसी की शक्तियाँ, कार्य और क्षेत्राधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित होंगे।**
  - यह **CBI, प्रवर्तन निदेशालय और गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय** जैसी विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों को एक ही संगठन के अधीन लाएगा।
  - इस संस्थान का प्रमुख एक **निष्पक्ष और स्वतंत्र प्राधिकारी** होना चाहिए। उसकी नियुक्ति एक समिति द्वारा की जाएगी।
  - पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए **अभियोजन और जांच तंत्र अलग–अलग होने चाहिए।**
- **भारत में जांच एजेंसियाँ और उनसे जुड़े मुद्दे**
  - भारत में, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए **कई केंद्रीय जांच एजेंसियाँ** स्थापित की गई हैं।
  - लेकिन, इन एजेंसियों को कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है, जैसे–
    - जांच के दौरान एजेंसियों को **कई कार्यवाहियों से गुजरना पड़ता है।** यह व्यवस्था साक्ष्य को कमजोर कर देती है तथा समय के साथ बयानों में विरोधाभास भी आने लगते हैं। इस प्रकार निर्दोष साबित होने में काफी लंबा समय लग जाता है।
    - कुछ मामलों में सक्रियता और निष्क्रियता की वजह से इन एजेंसियों की **सामाजिक वैधता या विश्वसनीयता पर सवाल** उठे हैं।
    - **अन्य मुद्दे:** इन एजेंसियों का मार्गदर्शन करने के लिए व्यापक कानूनों का अभाव है। इसके अतिरिक्त, भ्रष्टाचार आदि भी अन्य मुद्दे हैं।

केंद्र सरकार ने लोक सभा में भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, 2022 प्रस्तुत किया

- केंद्र सरकार ने भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, 2022 पेश किया है। इसका उद्देश्य **अंटार्कटिका के पर्यावरण और इससे संबंधित पारितंत्र की रक्षा** करना तथा **अंटार्कटिक संधि को प्रभावी बनाना है।**
  - वर्ष 1959 में **12 देशों ने 'अंटार्कटिक संधि' पर हस्ताक्षर** किये थे। यह संधि अंटार्कटिका महाद्वीप के सैन्यीकरण को रोकने और इसे शांतिपूर्ण गतिविधियों के केंद्र के रूप में स्थापित करने पर केंद्रित है।
  - **भारत वर्ष 1983 से अंटार्कटिक संधि का हस्ताक्षरकर्ता है।**
- **अंटार्कटिका विधेयक की मुख्य विशेषताएँ**
  - **परमिट के बिना** अंटार्कटिका में भारतीय अभियान या अंटार्कटिका में कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव किया गया है।
    - भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम में शामिल हैं: **दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती।**
  - अंटार्कटिक पर्यटन के प्रबंधन और मत्स्यन के सतत विकास सहित **भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम की गतिविधियों को सुगम बनाया जाएगा।**
  - **एक अंटार्कटिका फंड** बनाया जाएगा। इसका उपयोग अंटार्कटिका अनुसंधान कार्य के कल्याण और अंटार्कटिका के पर्यावरण की सुरक्षा में किया जाएगा।
  - **अंटार्कटिका अभिशासन और पर्यावरण संरक्षण पर एक समिति** गठित की जाएगी। यह समिति प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, उत्सर्जन मानकों और सुरक्षा के नियमों की निगरानी, कार्यान्वयन एवं अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
  - **अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधनों के संरक्षण पर अभिसमय, 1982 और अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल, 1998** का क्रियान्वयन किया जाएगा।

अंटार्कटिका विधेयक की आवश्यकता?

- अंटार्कटिका में समुद्री जीवन संसाधनों का दोहन और मानव उपस्थिति को देखते हुए यह जरुरी है।
- अंटार्कटिका में पर्यटन और मत्स्यन को विनियमित करने की जरूरत है।
- अंटार्कटिका एक निर्जन भूमि है और इसलिए एक घरेलू कानून की आवश्यकता है।

अन्य सुर्खियाँ

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)

- भारत ने ITU की **प्रशासन और प्रबंधन पर परिषद की स्थायी समिति** में नेतृत्व की स्थिति हासिल की है।
- ITU को वर्ष 1865 में स्थापित किया गया था। **यह सूचना और संचार के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है।**
  - यह **पूर्णाधिकारी सम्मेलन और प्रशासनिक परिषद** द्वारा शासित है।
    - पूर्णाधिकारी सम्मेलन **ITU का सबसे महत्वपूर्ण अंग** है।
  - वर्तमान में, **193 देश** तथा 900 से अधिक निजी क्षेत्र की संस्थाएं और शैक्षणिक संस्थान ITU के सदस्य हैं।
  - भारत, वर्ष 1952 से ITU का नियमित सदस्य है।
  - यह **प्रौद्योगिकी शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से** दुनिया भर के लोगों को सशक्त बनाता है।
  - यह **आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान संचार के माध्यम से सहयोग** करता है।
  - **मुख्यालय**– जिनेवा, स्विट्जरलैंड।

जे–फॉर्म (J form)

- पंजाब, इस रबी खरीद सीजन से किसानों को वास्तविक समय में **"डिजिटल जे–फॉर्म"** प्रदान करने वाला **देश का पहला राज्य** बन गया है।
- 'जे–फॉर्म' मंडियों में **एक किसान की कृषि उपज की बिक्री रसीद है।** यह अपनी फसल बेचने वाले किसान के लिए एक आय प्रमाण होती है।
  - ये फॉर्म **पहले आढ़तियों** (कमीशन एजेंट) **द्वारा मैनुअल दिए जाते** थे।
  - इसका उपयोग **वित्त जुटाने, आयकर छूट, सब्सिडी के दावों, किसानों के बीमा आदि** के लिए किया जा सकता है।
  - यह राज्य में गेहूं और धान दोनों फसलों के लिए **कृषि अधीन भूमि के रिकॉर्ड के रूप में** कार्य करेगा।
- **'जे–फॉर्म' को डिजिलॉकर में भी संग्रहीत किया जा सकता है।**

एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस (UHI)

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने हितधारकों को UHI के निर्माण में साझेदारी हेतु आमंत्रित किया है।
- **UHI, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) का बुनियादी स्तर है।** इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं तक डिजिटल रूप से पहुंच प्रदान करना है।
  - यह **एक मुक्त और अंतर–संचालित आई.टी. नेटवर्क है।** इसके द्वारा लोग ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं।
  - **यह रोगियों को** इसके साथ संगत किसी भी **ऐप के माध्यम से** अपनी पसंद के **डॉक्टरों से संपर्क करने, स्वास्थ्य जानकारी साझा करने और स्वास्थ्य रिपोर्ट प्राप्त करने में** सक्षम बनाता है।
  - यह **सार्वजनिक और निजी समाधानों** तथा ऐप्स को NDHM का हिस्सा बनने में सक्षम बनाता है।

चालू खाता घाटा (CAD)

- दिसंबर माह में समाप्त हुई तिमाही में, भारत का चालू खाता घाटा नौ वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इस तिमाही में 23 बिलियन डॉलर (GDP का 2.7%) चालू खाता घाटा हुआ है।
- **चालू खाता घाटा** किसी देश के व्यापार की एक माप है। इसमें उसके द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उसके द्वारा निर्यात उत्पादों के मूल्य से अधिक होता है।
- यह देश के **भुगतान संतुलन (BOP)** का हिस्सा है। यह निर्यात द्वारा धन के अंतर्वाह और आयात के माध्यम से धन के बहिर्वाह के बीच की गिरावट को दर्शाता है।
- **जिंस की कीमतों में वृद्धि** रिकॉर्ड CAD के पीछे मुख्य कारण रही है। इसके विपरीत, भारत की सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात और विप्रेषण में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गयी है।

बोइंग P–8I विमान

- भारतीय नौसेना ने अपने **दूसरे P–8I विमान स्क्वाड्रन– इंडियन नेवी एयर स्क्वाड्रन (INAS) 316** को अपने बेड़े में शामिल किया है।
- P–8I विमान, बहु–मिशन गश्ती विमान P–8A पोसाइडन का एक संस्करण है। यह एक बहु–भूमिका वाला **लंबी दूरी का समुद्री टोही पनडुब्बी रोधी युद्धक (Long Range Maritime Reconnaissance Anti-Submarine Warfare: LRMR ASW) विमान** है।
  - यह हिंद महासागर के साथ–साथ जमीन पर भी अपने अभियान को निष्पादित कर सकता है।

आर्कटिक समुद्री बर्फ

- **आर्कटिक में समुद्री बर्फ आमतौर पर मार्च में अपने चरम स्तर पर पहुंचती है।** किन्तु, इस वर्ष फरवरी में ही इसके अधिकतम स्तर को दर्ज किया गया था।
  - नासा (NASA) के अनुसार, आर्कटिक में समुद्री बर्फ के अधिकतम विस्तार में **वर्ष 1979 के बाद से प्रति दशक लगभग 13 प्रतिशत की गति से गिरावट आयी है।**
- **समुद्री बर्फ समुद्र का जमा हुआ जल है।**
  - **ध्रुवीय समुद्री बर्फ वैश्विक तापमान को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।**
    - समुद्री बर्फ, इसकी सतह पर आने वाले **80 प्रतिशत सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करती है।** इस प्रकार यह ध्रुवीय क्षेत्रों को ठंडा रखती है।
  - समुद्री बर्फ का पिघलना ग्लोबल वार्मिंग में तीव्रता ला सकता है।
  - एक महासागर क्षेत्र में **समुद्री बर्फ का विस्तार** वह स्थान है, जहां कम से कम कुछ बर्फ होती है।

सुगम्य भारत अभियान

- सुगम्य भारत अभियान के लक्ष्यों को **अंततः जून 2022 में प्राप्त कर लिया जाएगा।**
  - तीन लक्ष्यों के तहत अलग–अलग परियोजनाओं के लिए मूल समय सीमा जुलाई 2016 और जुलाई 2019 के बीच थी। इन्हें संशोधित कर **अब 14 जून, 2022 कर दिया गया है।**
- सुगम्य भारत अभियान का उद्देश्य **दिव्यांगजनों (PWDs) को सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है।**
  - PWDs के लिए सार्वभौमिक पहुंच बनाने हेतु, इस अभियान को **तीन कार्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है;**
    - बिल्ट अप एनवायरनमेंट (आसपास का परिवेश);
    - परिवहन तंत्र सुगम्यता (हवाई अड्डे, रेलवे व सार्वजनिक परिवहन); और
    - सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) तंत्र सुगम्यता (वेबसाइट और सार्वजनिक दस्तावेज, सांकेतिक भाषा दुभाषिए व टेलीविजन देखना)।
- **मंत्रालय:** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।

बर्धमान मिहिदाना (Bardhaman Mihidana)

- **बर्धमान मिहिदाना** (मिही का अर्थ **महीन** और दाना का अर्थ **अनाज**) को पारंपरिक बूंदी के सूक्ष्म व्यंजन के रूप में वर्णित किया जाता है।
- इसे **गोबिंदभोग चावल या कामिनी भोग चावल के आटे से निर्मित किया जाता है।** इसमें थोड़ी मात्रा में **बंगाल बेसन** मिलाया जाता है। **सुनहरे रंग** के लिए इसमें **केसर** को मिलाया जाता है।
- यह पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले की एक प्रसिद्ध मिठाई है। इसे **वर्ष 2017 में GI टैग प्राप्त हुआ था।**
- **कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा/APEDA)** के GI प्रमाणित उत्पादों को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत, **इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात किया जाता है।**

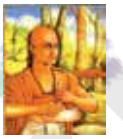

आचार्य चरक

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत करने वाले छात्रों हेतु संशोधित महर्षि चरक शपथ की सिफारिश की है।
- आचार्य चरक का जन्म कश्मीर में हुआ था। इन्हे प्राणाचार्य चरक के नाम से तथा भारतीय चिकित्सा के जनक के रूप में भी जाना जाता है।
- वह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक माने जाते थे।
- उन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, जो आयुर्वेद पर एक संस्कृत ग्रंथ है। यह मनुष्यों के बुनियादी शरीर–क्रियात्मक और संरचनात्मक विवरण, त्रिदोष (वात, पित्त एवं कफ) आदि विषयों से संबंधित है।
  - चरक संहिता, **महर्षि भारद्वाज** को समर्पित है, क्योंकि यह कई बीमारियों के उपचार के लिए महर्षि भारद्वाज के छंदों के साथ **अथर्ववेद** से संबंधित है।
  - आयुर्वेद पर **अग्निवेश संहिता (महर्षि अग्निवेश द्वारा रचित)** का उल्लेख भी चरक संहिता में किया गया है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थान

तुर्कमेनिस्तान

- **राजनीतिक सीमाएँ:** यह **मध्य एशिया क्षेत्र के दक्षिण–पश्चिम** में स्थित है।
  - यह उत्तर–पश्चिम में **कजाकिस्तान,** उत्तर और पूर्व में **उज्बेकिस्तान,** दक्षिण–पूर्व में **अफगानिस्तान** तथा दक्षिण में **ईरान** के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है।
  - इसके पश्चिमी भाग में **कैस्पियन सागर** स्थित है।
- **भौगोलिक विशेषताएं:** दो व्यापक विभाजन:
  - पहला क्षेत्र **नखलिस्तान** (an oasis region) है। यह पर्याप्त जलापूर्ति व खेती योग्य भूमि वाला एक क्षेत्र है।
  - दूसरा, तुर्कमेनिस्तान के नब्बे प्रतिशत भाग पर फैला हुआ एक **रेगिस्तानी क्षेत्र** है।
- **नदी:** अमु दरिया (प्राचीन ऑक्सस नदी), जो इसकी उत्तर–पूर्वी सीमा के साथ अरल सागर की ओर बहती है।
- तुर्कमेनिस्तान **कपास उत्पादन** तथा **तेल और प्राकृतिक गैस** के निष्कर्षण के लिए प्रसिद्ध है।